

11 जून 2020

**अध्यक्ष** The Chairman  
**अनुसूचित वाणिज्य बैंक** Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय Dear Sir

**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) के वित्तपोषण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पुनर्वित्त नीति**

कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 78/ पुनर्वित्त-24/ 2014 के साथ पठित 21 जून 2019 का हमारा परिपत्र सं 193 / पुनर्वित्त -54/ 2019-20 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) के वित्तपोषण की सूचना दी गई है.

2. वर्ष 2020-21 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) 31 मार्च 2019 को न्यूनतम 11.50% के सीआरएआर (बेसल-III के अनुसार) की शर्त का पालन करना.

ii) 31 मार्च 2019 को निवल ऋण और अग्रिम के 6% से ज्यादा निवल अनर्जक आस्तियां(एनपीए) न हो. अनर्जक आस्तियों की गणना बैंक के लिए समग्र रूप से की जाएगी.

iii) वर्ष 2018-19 में बैंक निवल लाभ में रहा हो.

iv) 31 मार्च 2020 को उपर्युक्त मानदंडों में सुधार या खराबी में उसी स्थिति को पुनर्वित्त की पात्रता के लिए हिसाब में लिया जाएगा.

**Financing of Primary Weavers Cooperative Societies (PWCS) by Scheduled Commercial Banks - Refinance Policy for financial year 2020-21**

Please refer to our Policy Circular No.193/DoR-54/2019-20 dated 21 June 2019 read with Circular No.78/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for the financial year 2019-20 for financing Primary Weavers Cooperative Societies.

2. It has been decided to broadly continue the same policy for 2020-21 also. The eligibility criteria prescribed for the year 2020-21 are as under :

(i) Compliance with minimum CRAR norm of 11.50% (as per Basel III) as on 31.03.2019.

(ii) Net NPAs not exceeding 6% of net loans and advances outstanding as on 31.03.2019. The NPA position will be reckoned for the Bank as a whole.

(iii) The bank should be in Net profit in 2018-19.

(iv) In case of improvement or deterioration in the above parameters as on 31.03.2020, the same will be reckoned for eligibility of refinance.

3. Interest rate on NABARD's refinance under this line of credit is at present 5.55% p.a., payable at quarterly rests on the first day of each quarter i.e. on 01

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**


पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)  
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

<p>3. नाबार्ड की इस पुनर्वित्त ऋण सुविधा की ब्याज दर 5.55% प्रति वर्ष है जोकि तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन - 01 जुलाई, 01 अक्टूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल को या मूलधन की पूर्ण चुकौती पर देय होगी. तथापि, नाबार्ड समय-समय इसमें संशोधन कर सकता है. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.78/पुनर्वित्त-24/2014 में इंगित नियम और शर्तें और पुनर्वित्त की प्रमात्रा भी तदनुसार परिवर्तित होगी.</p> <p>4. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 78/पुनर्वित्त-24/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे.</p> <p>5. कृपया पावती दें.</p>	<p>July, 01 October, 01 January and 01 April every year, or on repayment of the entire principal amount. It is, however, subject to revision by NABARD from time to time. The parameters, terms and conditions and quantum of refinance as indicated in our Circular No.78/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 may also undergo changes accordingly.</p> <p>4. All other terms and conditions detailed in Circular No.78/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 will remain unchanged.</p> <p>5. Kindly acknowledge receipt of the same.</p>
---	---

भवदीय



(जिजि माम्मेन)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

[www.nabard.org](http://www.nabard.org)

Taking Rural India >> Forward